

राजस्थान सरकार
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
(क-1/गोपनीय प्रकोष्ठ)

क्रमांक: प013(45)कार्मिक/गो0प्र0/78

जयपुर: दिनांक 4 अप्रैल, 1981

परिपत्र

विषय: राजस्थान सेवा नियम 244(2) के अधीन अनिवार्य सेवा निवृत्ति

राजस्थान सेवा नियम के नियम 244(2) के अधीन राज्य कर्मचारियों की अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त करने के संबंध में राज्य सरकार ने निम्न निर्णय लिये है:-

(1) वर्तमान पद्धति के अनुसार 31 मार्च को जो कर्मचारी 50 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं या 25 वर्ष का सेवाकाल पूर्ण कर लेते हैं, उनकी जांच (Screening) का कार्य नियमित रूप से प्रतिवर्ष किया जाना चाहिये।

(2) इस विभाग के प्रम सख्यक परिपत्र दिनांक 20-9-79 के अनुच्छेद (1) के अतिरिक्त में अब यह व्यवस्था रहेगी कि 50 वर्ष की आयु प्राप्त करने या 25 वर्ष के सेवा काल पूर्ण हो जाने पर कर्मचारी को प्रथम जांच के पश्चात् भविष्य में भी प्रतिवर्ष जांच (Screening) की जायेगी।

समस्त शासन सचिव/विभागाध्यक्ष उपरोक्त निर्णयों के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करायें। इस मामले पर पूर्व प्रचलित परिपत्रों का संदर्भ विवरण सुविधा हेतु अनुबंध में अंकित कर दिया गया है।

ई.र.कुमार
(अनिल कुमार)
विशिष्ट शासन सचिव

अनुबंध

नियम 244(2) राजस्थान सेवा नियम के अन्तर्गत अनिवार्य सेवा के मामले पर प्रचलित परिपत्रों का संदर्भ विवरण

सेवा का नाम	मुख्य परिपत्र	तदुपरान्त प्रचलित संशोधन-परिपत्र
राज्य सेवा	सं024(55)नियुक्ति(क) 57/पार्ट-1-ग्रुप-1/सी0आर0 दिनांक 19-5-1972	(i) सं09(1)नियुक्ति/क/57-पार्ट-11 दि0 27-2-1974 (ii) सं024(55)नियुक्ति/क/57-पार्ट-1- ग्रुप-1/सी0आर0 दि0 19-4-1974 (iii) सं08(52)कार्मिक/स0सी0आर0/72/ पार्ट-11 दिनांक 21-2-1975 (iv) सं014(60)कार्मिक/स0सी0आर0/75 दि0 2-9-75 एवं 14-2-1977
अधीनस्थ सेवा	सं024(55)नियुक्ति/क/57 पार्ट-1/ग्रुप-1/सी0आर दि0 19/26-4-1972	सं08(41)कार्मिक/स सी आर /73 दिनांक 25-5-1973, 12-9-1974, 11-11-1974, 4-9-1975 एवं 13-11-1975

कृ०प०उ०

मंत्रालयिक
सेवा

सं024(55)नियुक्ति/क/57
पार्ट-1/ग्रुप-1/सी आर
दिनांक 19/26-4-1972

- (I) सं024(55)नियुक्ति/क/57/पार्ट-1/
ग्रुप-1 दिनांक 18-7-1972
(II) सं08(42)नियुक्ति/र सी आर/72
दिनांक 29-7-1972
(III) सं024(55)नियुक्ति/क/57/पार्ट-1/
ग्रुप-1 दिनांक 11-11-1974
(IV) सं08(42)कार्मिक/र सी आर/72
दिनांक 27-11-1975
(V) सं08(41)कार्मिक/र सी आर/72
दिनांक 4-1-1977

चतुर्थ श्रेणी सं04(41)कार्मिक/र सी आर/
सुमचारी 73 दिनांक 12-9-1973
सेवा

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- सचिव राज्यपाल/ मुख्य मन्त्री
- 2- समस्त आयुक्त एवं शासन सचिव/ विशिष्ट शासन सचिव/उप शासन सचिव।
- 3- समस्त निजी सचिव/मन्त्रीगण/ राज्य मन्त्रीगण/ उप मन्त्रीगण/
निजी सचिव/मुख्य सचिव।
- 4- समस्त विभागाध्यक्ष(जिलाधीशों सहित), कृपया अपने अधीनस्थ समस्त नियुक्ति
अधिकारियों में सर्क्युलेट कर दें।
- 5- समस्त अनुभाग/ प्रकोष्ठ शासन सचिवालय।

(Signature)
उप शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को भी प्रेषित है :-

- 1- सचिव, राजस्थान विधान सभा, जयपुर।
- 2- सचिव, लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 3- सचिव, लोकयुक्त सचिवालय, जयपुर।
- 4- पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
- 5- अध्यक्ष, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
- 6- अतिरिक्त पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।

(Signature)
उप शासन सचिव